

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

सं. 31/2018-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1278(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 683(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के क्षेत्र-विस्तार और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है, एतद्वारा, उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (vi) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित करती है, यथा:-

“स्पष्टीकरण 2- इस मद में निहित कोई भी बात भारत में एक स्थान से भारत में ही दूसरे स्थान तक माल के परिवहन से भिन्न अन्य किसी सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी।”।

2. उपर्युक्त मद के वर्तमान स्पष्टीकरण को अब स्पष्टीकरण 1 लिखा जाएगा।
3. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/428/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 683(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2018-एकीकृत कर (दर) दिनांक 26 जुलाई, 2018, सा.का.नि 682 (अ.) दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2018

No. 31/2018-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 1278(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary so to do for the purpose of clarifying the scope and applicability of the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.8/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017, hereby inserts the following Explanation in the said notification, in the Table, against serial number 9, in column (3), in item (vi), namely:—

“*Explanation 2.*—Nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India”.

2. The existing *Explanation* in the above item shall be renumbered as *Explanation 1*.
3. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2019.

[F. No. 354/428/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 8/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 683 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 14/2018-Integrated Tax (Rate), dated the 26th July, 2018 *vide* number G.S.R. 682 (E), dated the 26th July, 2018.